न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट –तृतीय जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री अशोक कुमार शर्मा
2. प्रकरण संख्या : 216/2020
3. उनवान : सरकार जरिये ज्ञानप्रकाश शर्मा प्रवर्तन अधिकारी
बनाम
श्री जगदीश प्रसाद शर्मा उचित मूल्य दुकानदार दुकान संख्या 224 अटेच 217ए जयपुर शहर पुलिस थाना शास्त्री नगर।
4. निर्णय दिनांक : 01-07-2022
5. अधिवक्ता(गणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
ब) श्री के. डी. शर्मा अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी जयपुर शहर श्री ज्ञानप्रकाश शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ फर्द मौका, फर्द जब्ती, फर्द अभिग्रहण, फर्द सुपुर्दगी, बयान आदि पेश कर प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अप्रार्थी जगदीश प्रसाद शर्मा पर दिनांक 26.12.2013 को जब्ती की कार्यवाही कर अवैध 880 लीटर नीला केरोसीन मय 4 ड्रम को जब्त किया गया। मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबूत उक्त केरोसीन के संधारण के संबंध में पेश नहीं किये गये। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जब्त माल को राजसात करने का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज करवाया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज होने पर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। जिस पर उनकी ओर से दिनांक 10.11.2014 को अधिवक्ता श्री के. डी. शर्मा ने वकालतनामा पेश किया और दिनांक 27.04.2015 को अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया। लम्बे समय तक पत्रावली बहस हेतु नियत रहने के दौरान बार–बार आवाज लगवाई गयी, न्याय हित में अन्तिम अवसर भी दिया गया। इस पर भी अप्रार्थी/अभिभाषक अनुपस्थित रहे। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 01-07-2022 को आदेश हेतु रखी गई।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र, दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अप्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन तथा बहस का मनन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी द्वारा दिनांक 26.12.2013 को अप्रार्थी की उचित मूल्य दुकान पर जांच कार्यवाही कर कुल 880 लीटर नीला केरोसीन मय 4 ड्रम जब्त किये गये। चूंकि प्रार्थी द्वारा जब्त नीला केरोसीन अवैध था और उनके संधारण बाबत किसी अन्य ने भी क्लेम नहीं किया है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करना उचित पाते हैं।

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

अतः उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा सामान जिसमें 880 लीटर नीला केरोसीन मय 4 ड्रम शामिल है, को राजसात किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Court of Collector & Addl. District Magistrate-III • JAIPUR •

अतिरिक्त कलक्टर (तृतीय) जयपुर

([illegible] कुमार शर्मा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।